न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 365 / 2025 प्रार्थनापत्र

01. भागू पुत्र श्री देवा भील जाति भील आयु वयस्क निवासी– तलाया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

01. जयराम पुत्र श्री बरदा भील आयु वयस्क निवासी– तलाया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नारू पुत्र श्री बरदा भील आयु वयस्क निवासी– तलाया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
04. बैंक ऑफ बडौदा शाखा करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
05. ग्राम सेवा सहकारी समिति गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये व्यवस्थापक

–––– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन ––अधिवक्ता प्रार्थी
2. स्वय उपस्थित –– विपक्षी संख्या 01 से 02
3. एकपक्षीय ––विपक्षी संख्या 04 एवं 05
4. पेरोकार सरकार ––विपक्षी संख्या 03

:: निर्णय :: दिनांक– 25.08.2025

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद तलाया पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4712 / 110 स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 102 रकबा 0.2150 हैक्टयर जिसकी किस्म गै.मु रास्ता होकर प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु सरेण्डर की गयी भूमि के नवीन दर्ज रास्ते से होकर आता जाता है।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण संख्या 01 एवं 02 द्वारा उपस्थित होकर उनकी दर्ज आराजी नम्बर 102 रकबा 0.2150 हैक्टयर भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज कर दी जाने पर कोई आपत्ति नही है व साथ ही कोई प्रतिफल भी प्राप्त नही करना चाहते है। विपक्षी संख्या 01 एवं 02 द्वारा रास्ते हेतु सहमति दी है। इसलिए मौका रिपोर्ट की आवश्यकता नही है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस मे उक्त रास्ते को दर्ज कराया जाने हेतु निवेदन किया।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया प्रार्थी की आराजी नम्बर 4712 / 110 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 102 रकबा 0.2150 हैक्टयर जो कि गै.मु. रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसे विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के खाते से विलोपित कर सरकारी रास्ता के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद तलाया पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4712 / 110 मे आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 102 रकबा 0.2150 हैक्टयर गै.मु. रास्ता को कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा आराजी नम्बर 102 रकबा 0.2150 हेक्टयर को विपक्षी संख्या 01 एंव 02 की खातेदारी से विलोपित कर राजस्व रेकार्ड मे सरकारी बिलानाम रास्ता के रूप से दर्ज की जावे व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 जो कि मुआवजा (क्षतिपूर्ति) प्राप्त नही करना चाहने से उन्हे कोई प्रतिकर राशि निर्धारित नही की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते की आराजी नम्बर 102 रकबा 0.2150 हैक्टयर को सरकारी रास्ते के रूप मे दर्ज की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)